कार्यालय वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर

जिला–उत्तर बस्तर कांकेर

E-mail: dfoeast_bpur@rediffmail.com 07850-252223 Fax- 07850-252223

क्रमांक / मा.चि. / 2019 / 4491 भानुप्रतापपुर, दिनांक 10/7/19

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी,
व.सं.अ. 1980
अरण्य भवन, सेक्टर – 19,
नार्थ ब्लाक, केपिटल कॉम्पलेक्स,
नया रायपुर – 492002 (छ.ग.)

द्वारा :– मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर।

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for the Approach Road from mines to Public Road covers an area of 0.95 ha. and the Power Line covers an area 1.62 ha. The Forest land is required for approach road and drawing overead Power Line to our Mines, total area – 2.58 ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Approach/32947/2018

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर का क्रमांक / भू–प्रबंध / खनिज / एल.एम.–331–254 / 729 रायपुर दिनांक 13 / 03 / 2019.।

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम – बोरझरा, गुमा रोड़ रायपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदनकर्ता श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत आरक्षित / संरक्षित वनभूमि रकबा 2.58 हे. की मांग पहुंच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000 / – एवं प्रोसेसिंग शुल्क 29000 / – कुल 35000 / – जमा कर दी गई है।
3. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का घनत्व 0.6 है। आवेदक संस्थान द्वारा पहुंच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार क्षेत्र में कुल 53 वृक्ष खड़े है। वृक्षों का गणना पत्रक प्रस्ताव में संलग्न है।

4. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :–

    (I.) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (पहुंच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार) हेतु मांग की जा रही है वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई गैर वनभूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नही है।

    (II.) व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रं./ एफ.नं. 11–09/98–एफ.सी. (पी.टी.) दिनांक 28.10.2014 के परिपालन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

6. प्रस्तावित क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने तथा 05 हे. क्षेत्र से कम होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव संलग्न नही किया गया है। भारत सरकार के दिशा – निर्देश पत्र की छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

7. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के आस – पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

8. परियोजना का काष्ट बेनीफिट ऐनालिसिस निरंक है। (चूंकि आवेदित क्षेत्र 20 हे. से कम है)

9. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियम 3B का उल्लंखन नही किया गया है।

10. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र, Biosphere Reserve प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट, धार्मिक स्थल की सीमा 10 वर्ग कि.मी. के परीधि के अंतर्गत नही है, किन्तु रोड़ किनारे बंजारी माता मंदिर स्थित है।

11. आवेदित आरक्षित/संरक्षित वनभूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्यप्राणी अभ्यारण्य का भाग नही है एवं आवेदित वनभूमि की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. की परीधि में नही है।

12. आवेदक संस्थान द्वारा शासन के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. आवेदित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता नियम) अधिनियम 2006 के तहत् वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव संलग्न है।

14. भारत सरकार के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल कार्यालय के पत्र क्रमांक 6-MPC013/2008-BHO/357 दिनांक 24.02.2010 के परिपेक्ष्य में लेख है, कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान दशा प्राकृतिक कारणों से है। (Soil Productivity Lack of it) प्रमाण पत्र संलग्न है।

15. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारम्भ न करने का वचन पत्र संलग्न है।

16. प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेबसाईड में अपलोड कर दिया गया हैं । Acknowledgement संलग्न है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव पांच प्रतियों मय ऑनलाईन वेब एन्ट्री पूर्ण कर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 05 प्रतियां / चेकलिस्ट एवं,
डी.जी.पी.एस.सर्वे रिर्पोट।

वन मण्डलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल
भानुप्रतापपुर

पृ.क्र. / मा.चि. / 2019 / 4492 **भानुप्रतापपुर, दिनांक** 10/7/19

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल
भानुप्रतापपुर